पत्रांक 5125 /आयु0 क0 उत्तरा0/धारा–57 अनुभाग/वा0कर/2010–11/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून:15 जनवरी, 2011

प्रार्थना पत्र सं0 – 7362/25.11.2010
सर्वश्री टी0एस0 हार्डवेयर,
डब्लू.एस.सी.–56 ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी।
उपस्थिति– सर्वश्री टी0एस0 हार्डवेयर हल्द्वानी, की ओर से कोई उपस्थिति नही।
निर्णय का दिनांक– जनवरी, 2010,

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

सर्वश्री टी0एस0 हार्डवेयर, W.S.C.–56 ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुये "रेगमार अथवा रेगमाल" (Sand paper) पर कर की दर के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया।

2. विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल सम्भाग, हल्द्वानी द्वारा प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि व्यापारी द्वारा प्रश्नगत वस्तु किसी भी अनुसूची से आच्छादित न होने के कारण इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करारोपण होगा।

3. प्रार्थना पत्र की सुनवाई की निर्धारित तिथि को व्यापारी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ न ही कोई लिखित उत्तर दाखिल किया गया। व्यापारी की ओर से दिनांक 31.12.2010 को डाक से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें सुनवाई हेतु उपस्थित न हो पाने का उल्लेख करते हुये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का अनुरोध किया गया।

4. मेरे द्वारा व्यापारी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र एवं विभागीय मत का अवलोकन किया गया। उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–2 (बी) के क्रमांक 75 पर "हार्डवेयर जिसमें नट, बोल्ट, पेंच, कीलें, और फास्टनर सम्मिलित है, परन्तु लोहा इस्पात की तार सम्मिलित नही है" इस पर 4.5 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। इस प्रविष्टि में स्पष्ट रुप से "रेगमार अथवा रेगमाल" (Sand paper)को सम्मिलित नही किया गया है, अतः केवल हार्डवयर के व्यापारी द्वारा प्रश्नगत वस्तु की बिक्री किये जाने के आधार पर उक्त वस्तु पर करदेयता का निर्धारण नही किया जा सकता है। "रेगमार रेगमाल" (Sand paper) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित न होने के कारण अवर्गीकृत वस्तुओं की भाँति 12.5 प्रतिशत (1 प्रतिशत अतिरिक्त कर) की दर से करदेयता लागू होगी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय की प्रति सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं व्यापारी को पंजीकृत डाक से भेजी जाय।

(राधा रतूड़ी)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड

पृ0प0सं0 4225 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन,
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों /बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
8. असि0 कमि0,वाणिज्य कर ,ाण्ड–4, हल्द्वानी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित
10. कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
11. पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल एन0आई0सी0,4 सुभाष रोड़ देहरादून ।
12. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
13. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
14. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
15. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
16. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
17. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड